(60)

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक- फ०बी०यो०-2-14/2012/ 1562 /पटना,दिनांक- 11/09/12

प्रेषक,

विजय प्रकाश
प्रधान सचिव,
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

विषयः- जिला में योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) के सभी स्तर के कार्मिकों की, प्रतिनियुक्ति को रदद् करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के निर्णयानुसार नई व्यवस्था के अनरूप पहली बार पूरे राज्य में पंचायत स्तरीय फसल क्षेत्र सर्वेक्षण एवं फसल कटनी प्रयोग का कार्य अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा प्रारम्भ किया गया है। यह एक वृहत कार्यक्रम है, जिसके तहत A.S.V (Accredited Statistical Volunteer) के चयन का कार्य सपन्न की जा रही है, उन्हे सितंबर, 2012 में तीन दिनों का सघन प्रशिक्षण प्रस्तावित है। इन स्वयंसेवकों को मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से जिला स्तर पर परीक्षा आयोजित करने का भी प्रस्ताव है। इन स्वयं सेवकों के द्वारा इन निर्धारित अवधि में राज्य के सभी पंचायतों में फसल क्षेत्र का सर्वेक्षण तथा प्रत्येक पंचायत में फसल कटनी का प्रयोग कराना है। इस कार्य के पर्यवेक्षण के लिए कार्मिकों की बड़े स्तर पर आवश्यकता है। जिला में सांख्यिकी कार्मिको की अत्यन्त ही कमी है, जिसके कारण अन्य सेवा के कार्मिको की भी सेवा ली जा रही है।

परिस्थिति विशेष की महत्ता के प्रसंग में अनुरोध है कि जिला में अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के सभी स्तर के कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति अन्य कार्यो के लिए नहीं की जाय तथा पूर्व में की गई प्रतिनियुक्तियों को तात्कालिक प्रभाव से रदद् कर दिया जाय ताकि पंचायत स्तरीय क्षेत्र सर्वेक्षण एवं फसल कटनी प्रयोग का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक ससमय किया जा सके। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

10.9.12

11/9/12 प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः- 1562 पटना, दिनांकः- 11/09/12

प्रतिलिपिः- राज्य के सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.9.12

11/9/12 प्रधान सचिव।

519 Sanju 07-09-12

(59)

ज्ञापांक:- 1562 पटना, दिनांक:- 11/09/12

प्रतिलिपि:- 1.सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सांख्यिकी)।

2.सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हें निर्देशित किया जाता है कि जिला में गैर सांख्यिकी कार्यो में की गई सभी प्रतिनियुक्तियों को रदद् करने का निदेश किया गया है। अतः उन्हे पंचायत स्तरीय क्षेत्र सर्वेक्षण एवं फसल कटनी प्रयोग के सम्पादन में लगाये एवं कृत कार्रवाई की सूचना अधोहस्ताक्षरी को तुरंत भेजें। इसमें की गई लापरवाही अवांछनीय होगी।

10.9.12

प्रधान सचिव।

10/9/12

3058

519 Sanju 07-09-12